रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2262] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2014/कार्तिक 16, 1936
No. 2262] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2014/KARTIKA 16, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2014

का.आ. 2834(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 15 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

तालिका

(1)	(2)	(3)
"15	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39, सं. 53 (किमी 0.000 से किमी 3.22), सं. 150 [किमी 445 (किमी 140.000 से किमी 402.000), (किमी 448.000 से किमी 663.000) और (किमी 120.000 से किमी 132.000 (कोहिमा – जेसामी खंड) तक खंड को छोड़कर], **नई रारा सं. 102सी और नई रारा सं. 129ए** के उतने भाग जो कि मणिपुर राज्य में अवस्थित हैं।	मणिपुर राज्य सरकार"।

[फा. सं. एनएच-14013/19/2014-पी एंड एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार का.आ. 2596 (अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2014

S.O. 2834(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 15 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

TABLE

(1)	(2)	(3)
"15	So much of National Highway No. 39, No. 53 (from km. 0.000 to km. 3.22), No. 150 [excluding 445 kms (from km. 140.000 to km. 402.000), (from 488.000 to km. 663.000) and (from km. 120.000 to km. 132.000 (Kohima-Jessami section)], **new NH No. 102C and new NH No. 129A** as are situated within the State of Manipur.	State Government of Manipur".

[F. No. NH-14013/19/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 2596 (E), dated the 8th October, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.